न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रतन कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :83/2023 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियाजिला भीलवाडा	बनाम	1. अनिता देवलाल धर्मीबाई मंजूदेवी मनभर राकेश सन्तोष देवी पिता लक्ष्मीनारायण कस्तुरी पत्नी लक्ष्मीनारायण कराड निवासी शम्भूपुरा तहसील बिजौलिया
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 06.06.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम शम्भूपुरा की आ.न. 438/234 रकबा 0.3237 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी मंजूदेवी मनभर संतोषदेवी अनिता के सम्मन की तामील में सकुनत गलत होना अंकित किया है एवं शेष विपक्षीगण बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित हैं। प्रार्थी तहसीलदार बिजौलियां

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ने सही सकुनत मय सम्मन नोटिस पेश नही कर विपक्षी के विरूद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरूद्व हैं।

तहसीलदार बिजौलिया द्वारा सही सकुनत रिपोर्ट मय सम्मन भी पेश नही किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 08.09.2023 से ही पंजीबद्व चला आ रहा है। प्रकरण में काफी समय व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नही अपनायी है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को प्रेषित की जावे। तहसीलदार बिजौलिया पूर्ण दस्तावेज की जांच कर प्रकरण नये सिरे से न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा